



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 385 वर्ष 2026

अश्वनी कुमार

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : पुरुषोत्तम मणि त्रिपाठी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुढ़वार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम मणि त्रिपाठी तथा राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना गया।
2. राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल ने बार में यह कथन किया है कि वे निर्देशों से पूर्णतः सुसज्जित हैं तथा प्रकरण पर बहस करने की स्थिति में हैं। उन्होंने किसी प्रति-शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं किया है तथा यह कि रिट याचिका अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही निर्णय की जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से रिट याचिका का निस्तारण प्रारम्भिक स्तर पर ही किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उन्हें दिनांक 22.05.1998 को कनिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें दिनांक 01.08.2012 को वरिष्ठ लिपिक के रूप में पदोन्नत किया गया, तथापि प्रत्यर्थी संख्या 4, खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड इगलास, अलीगढ़ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 25.07.2025 एवं 12.09.2025 के माध्यम से वसूली का निर्देश दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उक्त दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आक्षेपित आदेश इस सरल कारण से स्थिर नहीं रह सकता कि इसे एकतरफा रूप से, याचिकाकर्ता को कोई सूचना दिए बिना, पारित किया गया है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि यह धोखाधड़ी, तथ्यों के गोपन या मिथ्या प्रतिपादन का प्रकरण नहीं है।
7. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने इसके विपरीत यह निवेदन किया है कि कारण बताओ सूचना याचिकाकर्ता को दिनांक 06.02.2026 तक जारी किया जाएगा।
8. मैंने बार में प्रस्तुत की गई दलीलों को सुना और अभिलेखों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया।
9. प्रत्यक्षतः प्रत्यर्थी संख्या 4, खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड इगलास, अलीगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2025 एवं 12.09.2025 से यह प्रदर्शित नहीं होता है कि याचिकाकर्ता को कोई सूचना दी गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भगवान शुक्ल बनाम भारत संघ एवं अन्य; (1994) 6 एस.सी.सी. 154** में निम्न प्रकार से अवलोकन किया है:

"3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता का मूल वेतन वर्ष 1970 से रु. 190 प्रति माह निर्धारित था। यह भी विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन वर्ष 1991 में, प्रभावी दिनांक 18.12.1970 से, रु. 190 प्रति माह से घटाकर रु. 181 प्रति माह कर दिया गया। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से नागरिक परिणामों का सामना करना पड़ा, किन्तु उसके मूल वेतन में कमी के विरुद्ध कारण बताओ का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। विभाग द्वारा उसका वेतन घटाने से पूर्व उसे कोई सूचना भी नहीं दी गई और आदेश उसके पीठ पीछे, विधि द्वारा ज्ञात किसी प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित कर दिया गया। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है तथा अपीलकर्ता को बिना सुने ही भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी है। न्यायसंगत आचरण की अपेक्षा है कि ऐसा कोई आदेश, जिसके परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी को नागरिक परिणाम भुगतने पड़ें, संबंधित को सूचना दिए बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित न किया जाए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, अतः दिनांक 25.7.1991 का आदेश (स्मरणपत्र), जो अधिकरण के समक्ष आक्षेपित था, निश्चित रूप से स्थिर नहीं रह सकता था तथा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा अपीलकर्ता की याचिका निरस्त करना त्रुटिपूर्ण था। अधिकरण का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपील को स्वीकार करते हैं तथा दिनांक 17.9.1993 के केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश के साथ-साथ दिनांक 25.7.1991 के उस आक्षेपित आदेश (स्मरणपत्र) को भी निरस्त करते हैं, जिसके द्वारा अपीलकर्ता का मूल वेतन रु. 190 से घटाकर रु. 181, प्रभावी दिनांक 18.12.1970 से, किया गया था।"

10. चूँकि आक्षेपित आदेश से यह प्रदर्शित नहीं होता है कि याचिकाकर्ता को सूचना दी गई थी, अतः इस न्यायालय के पास आदेश को निरस्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

11. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता है:

(क) प्रत्यर्थी संख्या 4, खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड इगलास, अलीगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2025 एवं 12.09.2025 निरस्त किए जाते हैं।

(ख) प्रकरण को नवीन आदेश पारित करने हेतु प्राधिकारी के समक्ष पुनः प्रेषित किया जाता है।

12. शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से, पक्षकार संबंधित प्राधिकारी के समक्ष रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा, जो उक्त प्रकरण का यथाशीघ्र निर्णय करेगा। तत्पश्चात वह याचिकाकर्ता को सुनवाई की तिथि नियत करते हुए सूचना देगा और यदि कोई अभिमत अपेक्षित हो, तो वही याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा तथा आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर नवीन आदेश पारित किया जाएगा।

13. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

दिनांक 16 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुढ़वार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।